बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–14/16 '76 पटना, दिनांकः 06.03.19

**कार्यालय आदेश**

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कहरा अंचल, सहरसा संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद को निगरानी धावा दल द्वारा 20,000/– (बीस हजार) रूपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इससे संबंधित निगरानी थाना कांड संख्या–018/2016 दिनांक–18.02.2016 धारा –7/13(2) सहपठित धारा 13(1) (डी०) भ्र०नि०अधि०–1988 के प्राथमिकी अभियुक्त रहने एव एतद् संबंधी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–505/अप०शा० दिनांक–18.03.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–92 सहपठित ज्ञापांक–677 दिनांक–05.04.2016 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–629/अ०शा० दिनांक 06.04.2016 के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–99 सहपठित ज्ञापांक–713 दिनांक–12.04.2016 द्वारा उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त उक्त वर्णित प्रतिवेदनों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–101 सहपठित ज्ञापांक–722 दिनांक–13.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–1303/स्था० दिनांक–14.10.2017 द्वारा अपर समाहर्त्ता, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया जिसे निदेशालय के का०आ०सं०–394 सहपठित ज्ञापांक–2706 दिनांक–04.12.2017 द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक–52–1/रा० दिनांक–31.05.2018 के द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवदेन के समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" आरोपित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, ने अपने बचाव में न तो कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही कोई गवाह। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में स्वविवेक से नियमानुकूल विधिसम्मत निर्णय लेने का अनुरोध किया है तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचन तथा संलग्न साक्ष्यों के आलोक में यह स्पष्ट है श्री सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गठित धावा दल के द्वारा दिनांक–18.02.2016 को परिवादी मोहन कुमार यादव को बकाये वेतन भुगतान करने के एवज में उनसे 20,000/– (बीस हजार ) घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप सत्य है। अतः प्रपत्र 'क' में गठित आरोप,आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा द्वारा समर्पित तथ्यों के आधार पर जॉचोपरांत आरोप प्रमाणित है।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) में किए गये प्रावधान के आलोक में संचालन प्रतिवेदन की प्रति श्री अनिल कुमार सिंह को निदेशालय के पत्रांक–1315 दिनांक–22.06.2018 द्वारा भेजते हुए उनसे दिनांक 09.07.2018 तक अभ्यावेदन की मांग की गयी। इसके आलोक में उनके आवेदन दिनांक–12.07.2018 द्वारा 15 दिनों के समय की मॉग की गयी, जिसे निदेशालय द्वारा स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक–31.07.2018 तक अभ्यावेदन देने का समय दिया गया।

4. मांगे गये अभ्यावेदन के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह ने अपने समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया है कि आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के लिए मेरे मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम–17 के एक भी नियम का पालन नहीं किया गया है और मेरी विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। उनका यह भी कहना है कि किस परिस्थिति में विभागीय कार्यवाही विहित रीति से संचालित कर पूर्ण माना जाता है; इसकी प्रारंभिक जानकारी संचालन पदाधिकारी के पास नहीं है और न प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पास है। जिसका प्रमाणिक साक्ष्य है कि मेरी विभागीय कार्यवाही में एक भी गवाह को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में पत्र देकर बुलाने तक का प्रयास नहीं किया और न एक भी गवाह का परीक्षण किया गया है। बिना गवाहों का गवाही लिये और उसका प्रतिपरीक्षण का अवसर मुझे दिये वगैर विभागीय कार्यवाही विहित रीति से संपन्न एवं पूर्ण कतई नहीं माना जायेगा। जब गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हुआ ही नहीं तो मैं द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव क्या दूँ। मेरे समझ से बाहर की बात है।

श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोप प्रपत्र 'क' में मुझपर श्री मोहन कुमार यादव से बकाया वेतन करीब दो लाख रूपये निकासी एवं भुगतान हेतु 20,000/– (बीस हजार) रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह गलत है। वे इसे पूरी तरह अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने परिवादी श्री मोहन कुमार यादव से 40,000/–(चालीस हजार ) रूपये की मॉग कभी नहीं किया था और न प्रथम किस्त के रूप में 20,000/–(बीस हजार) रूपया रिश्वत लिया था। मुझपर 20,000/–(बीस हजार) रूपये की मॉग करने एवं लेने का आरोप पूरी तरह गलत, बनाबटी और निराधार है। इस आरोप को मैं इन्कार कर रहा हूँ । मेरे आचरण को गलत ठहराना पूरी तरह गलत है।

5. श्री सिंह के द्वारा यह कहना कि श्री मोहन कुमार यादव से बकाया वेतन करीब दो लाख रूपये निकासी एवं भुगतान हेतु 40,000/– (चालीस हजार) रूपये की मॉग करने एवं 20,000/– (बीस हजार) रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह गलत है। ये अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख नहीं किये हैं कि निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ ही गिरफ्तार किये जाने के बाद इनका हाथ धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी क्यों हो गया। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा रिश्वत की राशि ली गयी जो इनके गंभीर कदाचार का द्योतक है और इनका आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। । अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उपर्युक्त सभी तथ्यों यथा– आरोप, आरोप की प्रकृति, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवदेन एवं जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी श्री अनिल कुमार सिंह ने 20,000/– (बीस हजार) रूपये की रिश्वत ली थी जिसे

निगरानी धावा दल ने बरामद किया था। इस प्रकार आरोपी कर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होता है, जो उनके भ्रष्ट आचरण एवं घोर कदाचार का परिचायक है।

7. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कहरा अंचल, सहरसा संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–14/16 496 पटना, दिनांक :– 06.03.19

प्रतिलिपिः– सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सहरसा/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निबंधित

4. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–505/अप०शा० दिनांक–18.03.2016 एवं पत्रांक–629/अप०शा० दिनांक–06.04.2016 के आलोक में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अनिल कुमार सिंह, निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 05/03